



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2018/ श्रावण 5, 1940

No. 509]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2018/SHRAVANA 5, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 706(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 (1988 का 46) में अवैध तस्करी निवारण की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या साकानि 274(अ), दिनांक 23 मार्च, 2018 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या लोप किए जाने के विषय को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से 22 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है।

(i) माननीय न्यायामूर्ति राजीव शकधर, अध्यक्ष

(ii) माननीय न्यायामूर्ति ए. के. पाठक, सदस्य

(iii) माननीया न्यायामूर्ति रेखा पल्ली, सदस्य

[फा. सं. यू.-110016/01/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

नलिनी रंजन सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पणी: दिनांक 23 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 274(अ) 23 मार्च, 2018 को भारत के राजपत्र(असाधारण)भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2018

G.S.R. 706(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 274(E), dated 23rd March, 2018 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period upto 22nd March, 2019:

- (i) Hon'ble Mr. Justice Rajiv Shakdher, Chairperson
- (ii) Hon'ble Mr. Justice A.K. Pathak, Member
- (iii) Hon'ble Ms. Justice Rekha Palli, Member

[F. No. U.-11016/01/2011-PITNDPS]

NALINI RANJAN SINGH, Under Secy.

Footnote : The Notification G.S.R. 274(E) dated 23rd March, 2018 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section-(i) on 23rd March, 2018.